भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3797

11 **अगस्त**, 2023 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाएं

3797. श्री मारगनी भरत:
डॉ. संघमित्रा मौर्य:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री संजय जाधव:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएएम के अंतर्गत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या ये योजनाएं निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देशभर में आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) एनएएम के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(छ) क्या होम्योपैथी को एनएएम के अंतर्गत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (छ): आयुष मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 15.09.2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वयन के लिए शुरू की और इसे जारी रखने के लिए समय-समय पर मंजूरी दी गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14.07.2021 को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक एनएएम को जारी रखने की मंजूरी दी।

आयुष मंत्रालय देश में होम्योपैथी सहित आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और प्रचार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से एनएएम को कार्यान्वित कर रहा है और एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, विभिन्न गतिविधियों के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के अनुरूप उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। **मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है**:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना

iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/उन क्षेत्रों में नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं

v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति

vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बी सी सी)

ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता

x. आयुष ग्राम

xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

xii. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएएम के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** पर दिया गया है। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश भर में आयुष अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एनएएम के तहत स्थान और स्वीकृति धनराशि के ब्यौरे के साथ अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है।

*****

संलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, एनएएम के तहत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा

(लाख रुयये में)

क्र.सं.	वर्ष	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	आवंटित/ जारी केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित/ जारी केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित/ जारी केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित/ जारी केंद्रीय हिस्सा	उपयोग किया गया केंद्रीय हिस्सा
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	251.808	245.277	296.061	291.061	142.386	122.952	153.772	0
2	आंध्र प्रदेश	385.402	33.823	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	678.090	614.634	180.850	105.102	402.040	123.281	0	0
4	असम	347.150	306.653	639.520	469.380	1011.770	45.384	0	0
5	बिहार	516.535	32.360	1686.077	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	195.808	70.390	94.864	0.000	189.735	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	2691.066	1623.698	841.309	487.880	0	0	0	0
8	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	65.988	65.988	218.988	218.988	142.286	52.419	0	0
11	गुजरात	244.011	189.090	466.926	303.510	1908.623	198.942	0	0
12	हरियाणा	3034.422	2789.240	647.702	610.230	1219.905	986.450	1008.863	0
13	हिमाचल प्रदेश	494.940	494.940	1261.800	997.430	3873.577	3410.450	1829.610	0
14	जम्मू-कश्मीर	2285.751	2207.330	1313.105	1225.938	4895.089	4274.410	1877.590	0
15	झारखंड	0	0	1309.765	1111.235	7752.570	5439.600	0	0
16	कर्नाटक	2184.371	1918.759	1821.460	1653.087	1714.086	1014.462	1677.180	0
17	केरल	2337.588	2246.445	1153.388	1153.388	4399.828	3037.783	0	0
18	लद्दाख	0.000	0.000	187.450	147.847	72.265	34.760	0	0
19	लक्षद्वीप	19.605	18.009	64.257	63.510	116.322	112.798	166.007	0
20	मध्य प्रदेश	5608.633	5218.833	3123.198	2745.887	1716.000	14.150	0	0
21	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1117.768	0
22	मणिपुर	571.720	274.706	170.040	48.826	1723.000	0.000	0.000	0
23	मिजोरम	657.730	609.449	259.080	242.069	117.270	51.856	284.470	0
24	मेघालय	247.970	92.676	609.780	495.083	796.840	0.000	0.000	0
25	नागालैंड	1254.890	1254.890	232.270	232.270	495.779	450.008	305.090	0
26	ओडिशा	716.640	560.970	1075.380	794.730	0	0	0	0
27	पुडुचेरी	47.667	46.939	200.273	194.355	623.952	328.205	0	0
28	पंजाब	89.770	43.455	527.280	260.859	0	0	0	0
29	राजस्थान	2276.400	1491.160	3189.000	943.270	0	0	0	0
30	सिक्किम	350.440	350.440	99.300	99.300	626.060	456.470	170.370	0
31	तमिलनाडु	616.580	616.580	2348.268	2147.030	2428.686	1574.480	0	0
32	तेलंगाना	0	0	3132.252	3044.950	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	270.080	241.265	138.710	106.217	1030.901	482.010	0	0
34	उत्तर प्रदेश	10373.858	9747.167	13809.724	11792.216	14437.596	8678.903	0	0
35	उत्तराखंड	656.458	656.458	2622.504	2416.921	1855.797	1545.565	1078.125	0
36	पश्चिमी बंगाल	247.346	129.861	2118.045	1904.860	1056.581	312.112	0	0
	कुल	**39718.716**	**34191.485**	**45838.626**	**36307.428**	**54748.944**	**32747.450**	**9668.845**	**0**

संलग्नक-II

एनएएम के तहत, स्थान और स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे के साथ अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	राशि स्वीकृत (लाख रूपये में)
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	पोर्ट ब्लेयर	124.95
2.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	792.309
		विशाखापत्तनम	331.367
3.	अरुणाचल प्रदेश	भालुकपोंग	75.00
		लिकाबाली	75.00
4.	असम	गोलपाड़ा	900.00
		माजुली	912.50
		कोकराझार	12.50
		बक्सा	12.50
		मोरीगांव	12.50
		कलियाबोर	12.50
		दिफु	12.50
		बजली	12.50
5.	बिहार	पटना	302.695
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	689.116
7.	छत्तीसगढ़	जागीर चंपा	255.50
		महासमुंद	255.50
		कोरिया	255.50
		कोरबा	255.50
		कांकेर	255.50
		नारायणपुर	255.50
		बीजापुर	255.50
		दंतेवाड़ा	255.50
		दल्ली राझरा	15.30
8.	गोवा	दक्षिण गोवा	489.29
		उत्तर गोवा	25.00
9.	गुजरात	सुरत	150.00
10	हरियाणा	हिसार	675.34
11.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	800.00
		मंडी	25.00
12	जम्मू री श्मक	किश्तवाड़	300.00
		कुपवाड़ा	516.383
		बिलावर	379.575
		कुलगाम	316.383
		सांबा	100.00
13	झारखंड	रांची	1500.00
		गुमला	750.00
		बोकारो	750.00
		देवघर	750.00
		पलामू	750.00
		डुमका	750.00
		जमशेदपुर	1500.00
14	कर्नाटक	गदग	900.00
		मंगलौर	900.00
		त्रिथाहल्ली	35.03
15	केरल	चालकुडी, त्रिशूर	420.63

		मत्तन्नूर, कन्नूर	553.33
		अदूर ा टथी मिनतप,	10.00
		अट्टपड़ी	10.00
		कोट्टारकरा म ल्लेक,	20.00
16	लक्षद्वीप	कवारत्ती	195.80
17	**महाराष्ट्र**	**नंदुरबार**	**425.00**
		सिंधुदुर्ग	**425.00**
		पुणे	**425.00**
		अहमदनगर	**425.00**
18	मणिपुर	मोरेह, टेंग्नुपाल जिला	654.50
		चूराचांदपुर	628.20
		क्वाकीथेल कोन्जेंग लीकाई	399.02
		कीराव एसी, इंफाल पूर्वी जिला	637.80
		चंदेल	187.50
		जिरीबाम	187.50
		कांगपोकपी	187.50
		बिष्णुपुर	187.50
		नोनी	187.50
		थौबल	187.50
		सेनापति	187.50
19	मध्य प्रदेश	भोपाल	700.00
		इंदौर	400.00
		नरसिंहपुर	690.00
		अमरकंटक	300.00
		मंडलेश्वर	199.751
		बालाघाट	50.00
		सीहोर	25.00
		गुना	25.00
		पन्ना	25.00
		भिंड	25.00
20	मेघालय	सोहरा (ी ूंजपो र च्), ईस्ट खासी हिल्स	1203.914
		रिभोई जिला	786.407
21	मिजोरम	आइजोल	169.609
		सेतूल	100.00
22	नागालैंड	नोकलाक, तुएनसांग जिला	896.04
		रज़ा, चेदेमा	900.00
		सपंग्या (ा यर्द ुगिच्)	201.676
		याचेम, लॉन्गलेंग	100.00
23	ओडिशा	ढेंकनाल	800.00
		बहरामपुर	300.00
		बालासोर	100.00
24	पुडुचेरी	विलानूर	896.056
		यनम	697.76
25	पंजाब	मोगा	650.00
		दयालपुर सोढ़िया जीरकपुर	650.00
26	राजस्थान	भीलवाड़ा	450.00
		अजमेर	450.00
		चुरू	450.00
		बीकानेर	450.00
		जयपुर	436.00
		सीकर	450.00

27	सिक्किम	क्योंगसा, पश्चिम सिक्किम	959.468
		एनआईटी ाारेवद	60.00
28	तमिलनाडु	थेनी	733.33
		थिरुवन्नमलाई	733.33
		पुदुक्कोट्टई	400.00
		नमक्कल	200.00
29	त्रिपुरा	पैराडाइज चौमुहानी, अगरतला	819.33
		बेलोनिया ाुरपत्र णक्षदि	472.26
30	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	525.00
		बुलंदशहर	900.00
		बिल्हौर, कानपुर	900.00
		वेस्ट कतली, लखनऊ	900.00
		बदरसी, वाराणसी	900.00
		नवाबगंज, बरेली	900.00
		बस्ती	900.00
		सिराथू कौशाम्बी	900.00
		सोनभद्र	900.00
		उरई जालौन	900.00
		संत कबीर नगर	900.00
		सहारनपुर	900.00
		देवरिया	900.00
		ललितपुर	900.00
		अमेठी	900.00
		कानपुर देहात	900.00
		फिरोजपुर, बलिया जिला	900.00
		रायबरेली	900.00
		बागपत	900.00
		फतेहपुर	900.00
		श्रावस्ती	740.12
		उन्नाव	740.12
		हरदोई	792.20
		गोरखपुर	792.20
		संभल	792.20
		मिर्जापुर	527.20
31	उत्तराखंड	हल्द्वानी	556.61
		जखनीधार, टिहरी	490.22
		टनकपुर, चंपावत	300.00
		पीरन कलियार (रा द्धर्स ह)	100.00
32	पश्चिमी बंगाल	तपसीखाता, अलीपुरद्वार जिला	900.00
		पश्चिम मिदनापुर	900.00